

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बदायूं।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 3/ जनवरी, 2014

विषय - जनपद बदायूं में वर्ष 2013 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1048(1)/तीन-संग्रह(आपदा), दिनांक 17-01-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बदायूं में वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बदायूं के 37 कार्य/परियोजनाओं की मरम्मत हेतु कुल लागत ₹0 9,40,90,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 4,70,45,000/- (कुल रुपये चार करोड़ सत्तर लाख पैंतालीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	राजस्व मण्डल का नाम	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षा कार्य का विवरण	कार्य की लागत	कुल मांग	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बरेली	बदायूं	बाढ़ खण्ड, बदायूं	जनपद बदायूं में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित नगला अजमेरी तटबन्ध के किमी० 16.100 से किमी० 16.300 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पत्थर की बिचिंग की मरम्मत/पुनर्स्थापना की	25.97	25.97	12.985

				परियोजना।			
2	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित गंगा महाबा तटबंध के किमी० 18.450 से किमी० 18.525 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त स्लोप पिचिंग एवं लाचिंग एग्रन की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	39.67	39.67	19.835
3	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित गंगा महाबा तटबंध के किमी० 18.575 से किमी० 18.650 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त स्लोप पिचिंग एवं लाचिंग एग्रन की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	39.16	39.16	19.580
4	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित गंगा महाबा तटबंध के किमी० 18.350 से किमी० 18.420 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त स्लोप पिचिंग एवं लाचिंग एग्रन की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	39.44	39.44	19.720
5	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित गंगा महाबा तटबंध के किमी० 12.000 पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त स्टड व शैंक की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	37.14	37.14	18.570
6	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित गंगा महाबा तटबंध के किमी० 12.150 पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त स्टड व शैंक की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	33.10	33.10	16.550
7	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित गंगा महाबा तटबंध के	39.03	39.03	19.515

			बढ़ाव	किमी० 16.400 पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त स्टब व शैंक की मरम्मत/पुनर्स्थापना की परियोजना।			
8	बरेली	बढ़ाव	बाढ़ खण्ड, बढ़ाव	जनपद बढ़ाव में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित गंगा महाबा तटबंध के किमी० 16.800 एवं किमी० 17.625 पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त शैंक की मरम्मत/पुनर्स्थापना की परियोजना।	24.86	24.86	12.430
9	बरेली	बढ़ाव	बाढ़ खण्ड, बढ़ाव	जनपद बढ़ाव में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित गंगा महाबा तटबंध के किमी० 16.700 पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त शैंक की मरम्मत/पुनर्स्थापना की परियोजना।	26.86	26.86	13.430
10	बरेली	बढ़ाव	बाढ़ खण्ड, बढ़ाव	जनपद बढ़ाव में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित गंगा महाबा तटबंध के किमी० 16.600 पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त शैंक की मरम्मत/पुनर्स्थापना की परियोजना।	32.17	32.17	16.085
11	बरेली	बढ़ाव	बाढ़ खण्ड, बढ़ाव	जनपद बढ़ाव में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित उसहैत तटबंध के किमी० 2.500 से किमी० 2.570 के मध्य स्लोप पिचिंग एवं लायिंग एग्रन की मरम्मत/पुनर्स्थापना की परियोजना।	32.84	32.84	16.420
12	बरेली	बढ़ाव	बाढ़ खण्ड, बढ़ाव	जनपद बढ़ाव में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित उसहैत तटबंध के किमी० 0.00 से 17.00 के मध्य क्षतिग्रस्त तटबंध के मरम्मत हेतु रेन कटर्स/पोट होल्स भरने की परियोजना।	11.74	11.74	5.870
13	बरेली	बढ़ाव	बाढ़ खण्ड, बढ़ाव	जनपद बढ़ाव में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित चन्दनपुर-हुसैनपुर तटबंध के किमी० 5.30 पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त	31.59	31.59	15.795

				स्टड की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।			
14	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित चन्दनपुर-हुसैनपुर तटबंध के किमी० ०.०० से किमी० ३.६० के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त शौकों की मरम्मत/पुनर्स्थापना की परियोजना।	28.38	28.38	14.190
15	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित चन्दनपुर-हुसैनपुर तटबंध के किमी० ६.४० पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त स्टड की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	19.75	19.75	9.875
16	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित चन्दनपुर-हुसैनपुर तटबंध के किमी० ६.१७ से किमी० ६.२० के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त लॉचिंग एग्रन के साथ स्लोप पिछिंग की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	29.25	29.25	14.625
17	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित चन्दनपुर-हुसैनपुर तटबंध के किमी० ५.३० पर निर्मित स्टड की बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त अपस्ट्रीम स्लोप पिछिंग व लॉचिंग एग्रन की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	35.40	35.40	17.700
18	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित चन्दनपुर-हुसैनपुर तटबंध के किमी० ३.६५ से किमी० ३.७५ के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त लॉचिंग एग्रन के साथ स्लोप पिछिंग की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	47.89	47.89	23.945

19	बरेली	बदायूँ	बाढ़ खण्ड, बदायूँ	जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित कछला टाउन पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त स्टड सं० 2 की मरम्मत/पुनर्स्थापना का कार्य।	19.67	19.67	9.835
20	बरेली	बदायूँ	बाढ़ खण्ड, बदायूँ	जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित चन्दनपुर-हुसैनपुर तटबंध के किमी० 6.65 से किमी० 8.80 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त रैम्परा की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	13.29	13.29	6.645
21	बरेली	बदायूँ	बाढ़ खण्ड, बदायूँ	जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित चन्दनपुर-हुसैनपुर तटबंध के किमी० 6.50 पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त स्टड की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	25.49	25.49	12.745
22	बरेली	बदायूँ	बाढ़ खण्ड, बदायूँ	जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी० 2.867 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्पर की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	24.57	24.57	12.285
23	बरेली	बदायूँ	बाढ़ खण्ड, बदायूँ	जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी० 2.00 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्पर की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	24.90	24.90	12.450
24	बरेली	बदायूँ	बाढ़ खण्ड, बदायूँ	जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी० 1.640 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्पर की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	20.75	20.75	10.375
25	बरेली	बदायूँ	बाढ़ खण्ड, बदायूँ	जनपद बदायूँ में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी० 1.600 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्पर की मरम्मत/	23.57	23.57	11.785

				पुनर्स्थापना की परियोजना।			
26	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी 0 1.560 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्तर की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	25.45	25.45	12.725
27	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी 0 5.00 से 7.00 के मध्य क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	17.54	17.54	8.770
28	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी 0 8.00 से 8.70 के मध्य क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	7.12	7.12	3.560
29	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी 0 1.300 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्तर की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	25.36	25.36	12.680
30	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी 0 8.930 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्तर की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	21.96	21.96	10.980
31	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी 0 8.860 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्तर की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	13.69	13.69	6.845
32	बरेली	बढ़ाई	बाढ़ खण्ड, बढ़ाई	जनपद बढ़ाई में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी 0 0.00 से 3.60 के मध्य	24.91	24.91	12.455

				क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।			
33	बरेली	बदायूं	बाढ़ खण्ड, बदायूं	जनपद बदायूं में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी0 9.30 से 10.00 के मध्य क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	7.14	7.14	3.570
34	बरेली	बदायूं	बाढ़ खण्ड, बदायूं	जनपद बदायूं में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी0 0.600, 0.720, 0.850, 1.100, 1.225 पर स्थित क्षतिग्रस्त अर्द्धन शैंक तथा क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	24.31	24.31	12.155
35	बरेली	बदायूं	बाढ़ खण्ड, बदायूं	जनपद बदायूं में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी0 8.650 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्पर की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	14.31	14.31	7.155
36	बरेली	बदायूं	बाढ़ खण्ड, बदायूं	जनपद बदायूं में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित उसावा तटबंध के किमी0 1.520 पर स्थित क्षतिग्रस्त स्पर की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	22.63	22.63	11.315
37	बरेली	बदायूं	बाढ़ खण्ड, बदायूं	जनपद बदायूं में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित गंगा महाबा तटबंध के किमी0 0.000 किमी0 10.00 के मध्य बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त रिटायर्ड तटबंध की मरम्मत/ पुनर्स्थापना की परियोजना।	10.00	10.00	5.000
योग					940.90		470.45

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोजिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका

सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 69 (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 7- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।